Court Case No - 14/2024.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फा. सं.: NCST/DEV-1712/JH/43/2023-RO-RNC

श्री राहुल कुमार सिन्हा,
उपायुक्त, रांची,
कचहरी चौक, ब्लॉक-बी, कमरा नंबर-504,
राँची-834001, झारखण्ड,
ई-मेल: dc-ran@nic.in
फोन नं. 0651-2214001

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के समक्ष **दिनांक 27.08.2024 को पूर्वाह्न 09:30 बजे, राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड** में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र और 1932 खतियानी रैयत ग्राम महुँवा टोली के आदिवासी को रास्ता देने एवं रैयत जमीन वापसी के संबंध में श्रीमती उषा किरण केरकेट्टा एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम- महुँवा टोली, वार्ड सदस्य-10, पो०- ईटकी, प्रखंड-ईटकी, जिला-राँची-835301, झारखंड का दिनांक 16.05.2023 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 29.05.2023.
सन्दर्भ 3: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 29.08.2023.
सन्दर्भ 4: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2024.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 21, अगस्त, 2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

मोहर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003